न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 123/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/245**
दायर दिनांक :– 06.06.2025 **निर्णय दिनांक :– 08.04.2025**

1. दीपाराम पुत्र पुराराम जाति मेघवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
2. परमाराम पुत्र पुराराम जाति मेघवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
3. चेताराम पुत्र पुराराम जाति मेघवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. ओमाराम पुत्र अमलखराम जाति मेघवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
3. मघाराम पुत्र अमलखराम जाति मेघवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
4. जेठाराम पुत्र जीयाराम जाति मेघवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी फौत के कायम मुकाम

4/1 नगाराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

4/2 सांगाराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

4/3 कानाराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

4/4 नरसीराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

4/5 बाधु पत्नी जेठाराम जाति मेघवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री पपूराम मेगवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता अ.सं. 2,3

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 26/4

Satya
सहा/जिला मजिस्ट्रेट
बाप

रकबा 2.5900 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 26/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 26/3 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 7.7700 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 26/1 रकबा 7.8590 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा मालमसिंह की सिड पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्राथीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के हिस्से अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी एवं नक्शा लट्ठा में सामलाती रूप से दर्ज थी और मौके पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 का कब्जा व काश्त चला आ रहा है लेकिन पटवारी हल्का ने वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 को सूचित किये बगैर ही उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम कब्जा काश्त के विपरित कर दी जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। इसिलये ग्राम मालमसिंह की सिड के खसरा नम्बर 26/4 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/2 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26/3 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 26 रकबा 7.7700 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 26/1 रकबा 7.8590 हैक्टेयर भूमि के ऑनलाईन नक्शा में विधि विरूद्व की गई तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4/1 ता 4/5 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब में बताया कि ग्राम मालमसिंह की सिड पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 26 व उसके सम्पूर्ण बट्टा नम्बर की तरमीम पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त नहीं है। सेग्रीकेशन योजना के तहत मात्र अलग-अलग राजस्व अभिलेख जमाबंदी के आधार पर ही तरमीम की गई थी लेकिन प्रार्थीगण ने पूर्व में राजस्व अभिलेख जमाबंदी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 की सामलाती ही थी। सेग्रीकेशन योजना के तहत अलग-अलग खाते कायम नहीं किये गये थे। वर्तमान तरमीम अनुसार ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का कब्जा व काश्त मौके पर अपनी-अपनी तरमीम अनुसार चल रहा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 तथा अन्य खातेदारान् ने उक्त तरमीम अनुसार ही अपनी रहवासीय ढाणियां इत्यादि बना रखी है। उक्त भूमि की तरमीम अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण तथा अन्य सहखातेदान का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का मौके पर वर्तमान तरमीम अनुसार ही कब्जा व काश्त होने से प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमावे।पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम मालमसिंह की सिड पटवार हल्का कल्याणसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 26 व बट्टा नम्बर की तरमीम पूर्व में नक्शा लट्ठा में नही हो रखी है। वर्तमान तरमीम सेग्रीकेशन योजना के तहत की गई है। खसरा नम्बर 26/1 की तरमीम कब्जा काश्त अनुसार सही है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है वर्तमान ऑनलाईन तरमीम सेग्रीकेशन योजना के तहत की गई है परन्तु उपरोक्त खसरान् की तरमीम लट्ठा नक्शा में अंकित नहीं थी। वर्तमान ऑनलाईन तरमीम सेग्रीकेशन योजना के तहत अंकित की गई है। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण की पुश्त पर विभाजन का नजरी नक्शा अंकित नहीं है। विवादग्रस्त खसरान की तरमीम वर्तमान में किस प्रकार अंकित है जिसका नजरी नक्शा मौका रिपोर्ट में नहीं बनाया गया है जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वर्तमान तरमीम एवं खातेदारों के कब्जा में भिन्नता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)